मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक 592 /लेखा/2017–18 दिनांक 27/03/18

–:कार्यालय–आदेश:–

प्राधिकरण की विभिन्न सम्पत्तियों पर लिये जाने वाले ब्याज एवं दण्ड ब्याज की दरों का संशोधन प्राधिकरण की 109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.07.2017 द्वारा निम्नानुसार किया गया था।

क्रम सं०	श्रेणी	ब्याज दर (प्रतिशत में)	दण्ड ब्याज (प्रतिशत में)
1	दुर्बल आय वर्ग	9.5	13
2	अल्प आय वर्ग	10.5	14
3	मध्यम आय वर्ग	10.5	15
4	उच्च आय वर्ग	10.5	15

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों पर उक्त ब्याज एवं दण्ड ब्याज की दरें दिनांक 01.08.2017 से प्राभावी की गई थी अर्थात् दिनांक 01.08.2017 एवं उसके पश्चात् आवंटित सम्पत्तियों पर किश्तों के निर्धारण में उक्तानुसार ब्याज दरें लागू की गई थी तथा दिनांक 01.08.2017 के पूर्व में आवंटन/नीलामी के माध्यम से निस्तारित सम्पत्तियों पर ब्याज व दण्ड ब्याज की दरें दिनांक 01.08.2017 के पूर्व प्रचलित ब्याज एवं दण्ड ब्याज की दरें प्रभावी थी।

दिनांक 15.02.2018 को आयोजित 110वीं बोर्ड बैठक में मा0 बोर्ड द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं।

"प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन आवंटियों द्वारा नियमित किश्तें जमा की गयी है अर्थात् दिनांक 01.01.2018 के पूर्व कोई किश्त बकाया नहीं है, ऐसे आवंटियों को 109वीं बोर्ड बैठक में निर्धारित की गयी संशोधित ब्याज दरें दिनांक 01.01.2018 से लागू की जाये।"

अतः 110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.02.2018 के उक्त निर्णय अनुसार ऐसे आवंटी जिनकी दिनांक 01.01.2018 के पूर्व कोई किश्त बकाया नहीं है, उन सभी आवंटियों को भी दिनांक 01.01.2018 से उक्तानुसार संशोधित ब्याज दरों का लाभ दिये जाने के निर्देश मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर लागू ब्याज दरें एवं दण्ड ब्याज दरें प्राधिकरण की 108वी बोर्ड बैठक दिनांक 07.12.2016 के अनुसार प्रभावी रहेंगी, जिसके अनुसार ब्याज दर 13 प्रतिशत एवं दण्ड ब्याज दर 16 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी।

मा0 बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 15.02.2018 का सभी सम्पत्ति अधिकारी/सम्पत्ति लिपिकों/ सभी सम्बन्धितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पृष्ठांकन एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ
2. सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
3. वित्त नियंत्रक
4. मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक/तहसीलदार/वित्त एवं लेखाधिकारी
5. समस्त प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) को सभी सम्बन्धित लिपिकों को भी प्रति उपलब्ध कराने हेतु/प्रभारी अधिकारी (बल्क एवं व्यवसायिक)/प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर)/श्री शरद कुमार, सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्राधिकरण की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त लेखाकार/सहायक लेखाकार/प्राधिकरण सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
7. पी0आर0ओ0 मेरठ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।

26/3/18

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।